(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/बैतूल/भू.रा./2017/4337 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.09.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 229/अपील/2014-15.

रमेश मेहरा पिता श्री गुलाबराव मेहरा,
निवासी ग्राम खम्बारा तहसील मुलताई
जिला बैतूल, म.प्र. .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. श्रीमती पुसली पति श्री केशो जाति मेहरा
   निवासी मंगोनाकला तहसील मुलताई, जिला बैतूल
2. श्रीमती सुगरनिया पति श्री अर्जुन जाति मेहरा
   निवासी घाटपिपरिया तहसील मुलताई, जिला बैतूल
3. श्रीमती जैतूल पति पूरनलाल जाति मेहरा
   निवासी खम्बारा तहसील मुलताई, जिला बैतूल .....प्रत्यर्थीगण

श्री अनिल चडोकर, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री अखिलेश दुबे, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/2/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(3) के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम समर के प्रस्ताव क्रमांक 4/18 पारित आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 13.03.2015 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई। साथ ही विलंब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 47/अ-6/2014-15 दर्ज कर दिनांक 07.05.2015 को आदेश पारित कर अपील समय-सीमा से बाह्य होने से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 07.09.2017 को आदेश पारित कर अपील अमान्य की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया था कि विवादित भूमि के भूमि स्वामी गुलाबराव को विवादित भूमि वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था तथा ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण प्रविष्टि पूर्णत: अवैधानिक रूप से बिना अपीलार्थी को सूचित किए बगैर व उसे सुने फौती नामांतरण की प्रविष्टि पारित कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा वसीयतनामा के आधार पर अपीलार्थी का नामांतरण किए जाने के आदेश पारित करना था, जो नहीं कर विधि की भूल की है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बगैर कोई साक्ष्य आहुत किए तथा बगैर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश बोलता हुआ नहीं है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति प्रतिवेदन, जिसमें वसीयतशुदा भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा होना प्रमाणित है, को पूर्णत: अनदेखा कर अपील निरस्त किए जाने के आदेश पारित कर विधि की गंभीर भूल की है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील जानकारी दिनांक से समयावधि में पेश की गई थी तथा अपील के साथ विलंब क्षमा किए जाने हेतु धारा 5 अवधि विधान अंतर्गत का आवेदन मय शपथपत्र के उचित एवं पर्याप्त कारणों के साथ प्रस्तुत किया गया था, किन्तु धारा 5 अवधि विधान अधिनियम के आवेदन पर बगैर कोई तर्क श्रवण किए अपील समयावधि बाह्य होना मानकर निरस्त की गई थी। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था, जिसे भी द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अनदेखा कर आदेश पारित करने में भूल की है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय में ना तो कभी प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुए और ना ही उनके द्वारा कोई चुनौती प्रस्तुत की गई है, फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा बगैर प्रत्यर्थीगणों की आपत्ति सुने अपीलार्थी की अपील निरस्त किए जाने की गंभीर विधिक भूल की है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना प्रारंभिक तर्क श्रवण किए अपील निरस्त किए जाने की भूल की है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी नौकरी में होने से वह अपने पिता गुलाबराव की मृत्यु पश्चात् शीघ्र ही वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु कार्यवाही करने में असमर्थ रहा था, जिसका युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण अपीलार्थी ने अपनी अपील एवं अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में तथा स्वयं के शपथपत्र में दर्शाया गया था, जिस पर भी द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने कोई ध्यान ना देकर प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश अहस्तक्षेपनीय होना दर्शाकर अपील अमान्य किए जाने की भूल की है।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा विलंब क्षमा हेतु कोई समाधान कारक कारण नहीं दर्शाया गया है। इस आधार पर कहा गया कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है। उनके द्वारा आयुक्त के आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा सभी वारिसानों का नामान्तरण किया गया है । आवेदक वसीयतनामा को अपने पास पांच साल तक रखे रहा है। इस तथ्य से प्रतीत होता है कि प्रश्नाधीनभूमि पर वारिसाना हक अनुसार संपादित नामान्तरण पर उसकी मौन स्वीकृति थी तथा लालचवश जब भू-अर्जन के मुआवजा की राशि संयुक्त रूप से निर्धारित की गई तब उसके मन में मुआवजा राशि के साथ संपूर्ण भूमि पर स्वयं का नाम दर्ज कराने के विचार को क्रियान्वित करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील खारिज करने में विधिसंगत एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के नीतिगत आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-9-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर